न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/डिक्री/टी.ए./5019/2002/करौली

1– हरीचरण) पुत्रान चतरू निवासी ग्राम मूडिया (छावडी पट्टी)
2– लखन) तहसील टोडाभीम जिला करौली

....अपीलांट

बनाम

1– राजरोसी पुत्र मलखान
2– बृजमोहन पुत्री बंशी
3– रतनसिंह) पुत्रान बृजमोहन
4– फतेहसिंह)
समस्त जाति गूजर निवासी मूडिया (छावडी पट्टी) तहसील टोडाभीम जिला करौली।
5– जलसिंह) पुत्रान बुद्ध
6– इन्दर)
समस्त जाति गूजर निवासी मूडिया (छावडी पट्टी) तहसील टोडाभीम जिला करौली हाल निवासी ग्राम भांवर तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर।

....रेस्पोर्डेंट्स

खण्डपीठ
श्री वी0 श्रीनिवास, अध्यक्ष
श्री राकेश कुमार जायसवाल, सदस्य

उपस्थितः
श्री दिलीप सिंह राठौड़ अधिवक्ता अपीलांट।
रेस्पोडेंट संख्या 1से 6 बावजूद सूचना अनुपस्थित एकपक्षीय कार्यवाही।

निर्णय

दिनांक : 06 जुलाई, 2018

यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर द्वारा प्रकरण संख्या 73/2002 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22–7–2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेंट संख्या–1/वादी राजरोसी ने प्रतिवादी हरिचरण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्कारी अधिनियम, 1955 बाबत डिक्लेरेशन एण्ड परपीच्युअल इन्जक्शन पेश किया तथा एक अन्य वाद अपीलांट हरिचरण वगैरह ने रेस्पोडेट राजरोसी वगैरह के विरूद्ध अन्तर्गत धारा188 बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया। न्यायालय उप जिला कलक्टर, हिण्डोन ने दोनों दावों को क्रमशः 358/99 एवं 381/99 नम्बर पर दर्ज कर कन्सोलीडेट किया। परीक्षण न्यायालय उप जिला कलक्टर, हिण्डोन ने आवश्यक तनकीयात कायम करते हुए अपने निर्णय व डिक्री 04–5–2002 द्वारा छः तनकीयात कायम करते कर विस्तृत विश्लेषण के पश्चात् मुकदमा संख्या 358/99 राजरोसी बनाम हरिचरण खारिज किया तथा मुकदमा नंबर 381/99 हरिचरण बनाम राजरोसी डिक्री किया जाकर आराजी खसरानंबर 1943 गै0मु0 चाह, 1947, 1948, 1944/2703 कुल किता 4 कुल रकबा 79 एयर वाके ग्राम मूंडिया तहसील टोडाभीम का वादीगण हरिचरण व लखन पिसरान चतरू गूजर मूंडिया का 1/2 भाग का खातेदार घोषित करने का आदेश दिया तथा प्रतिवादीगण राजरोसी वगैरह को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने एवं वादीगण के कब्जे काश्त में रूकावट नहीं नहीं करने के लिए पाबंद किया। उक्त दोनों ही प्रकरणों में न्यायालय उप जिला कलक्टर, हिण्डोन के द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 04–5–2002 से व्यथित होकर राजरोसी वगैरह ने हरिचरण व लखन के विरूद्ध न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर के समक्ष अपील पेश की गई जिन्होंने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 22–7–2002 द्वारा अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर उप जिला कलक्टर, हिण्डोन के निर्णय व डिक्री दिनांक 04–5–2002 को निरस्त कर पुनः मैरिट पर निर्णय पारित करने के निर्देश दिये। उक्त निर्णय के विरूद्ध यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

3– विद्वान अधिवक्ता अपीलांट्स की बहस सुनी गई।

4– विद्वान अधिवक्ता अपीलांट्स ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित स्वविवेकीय निर्णय में अधीनस्थ न्यायालय ने हस्तक्षेप कर भारी भूल की है। उनका यह भी कथन है कि दोनों दावों के विरूद्ध एक ही अपील को राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर के समक्ष पेश किया गया था जो कि संधारण योग्य नही थी क्योंकि दोनों प्रकरणों के विरूद्ध दो अपीले प्रस्तुत की जानी चाहिए थी फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने तथ्यों को नजरंदाज कर निर्णय पारित कर भारी कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर भी ध्यान नहीं दिया क रेस्पोडेंट के पिता ने अपीलांट से रूपये लेकर लिखावट दी एंव इकरार किया कि पैसे वापस अदा नहीं करने की स्थिति में उसके हिस्से की भूमि पर अपीलांट का पिता चतरू काश्त करेगा, उक्त इकरार पर बृजमोहन एवं अन्य गवाहान के हस्ताक्षर है तथा उक्त बही को एक्जीविट डी–1 किया गया। जिससे स्पष्ट है कि अपीलांट को अपना हिस्सा मूल्यवान प्रतिफल लेकर विक्रय कर दिया गया है। रेस्पोडेंट अपनी स्वीकारोक्ति एवं सहमति से स्टोप्ड है जिसकी पुष्टि रेस्पोडेंट के बयानों एवं गवाह लिखमीराम के बयानों से होती है। अपीलांट ने उक्त भूमि पर चाह के ढाणे तैयार करवाये है तथा इंजन लगाकर अपने 1/2 हिस्से का पानी लेकर अपने खेतों की सिंचाई भी की है। परन्तु रेस्पोडेंट का यह कहना कि उन्हें जमीन उनके बुजुर्ग बंशी से प्राप्त हुई और दूसरी जमीन पुश्तैनी बता रहा है यदि भूमि पुश्तैनी थी तो अकेले को किस आधार पर प्राप्त हुई, यह भी रेस्पोडेंट स्पष्ट नहीं कर पाये है। इसके अलावा कब्जा काश्त गिरदावरी के अनुसार बंशी के चारों लड़कों का दर्ज है। उक्त सभी तथ्यों को नजरंदाज कर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण को परीक्षण न्यायालय को मैरिट के आधार पर निर्णित करने के लिए प्रतिप्रेषित किया है जबकि परीक्षण न्यायालय ने पूर्ण विश्लेषण के आधार पर तनकीयात कायम कर निर्णय पारित किया है जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं हैं। अन्त में उनका निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई का अवसर नहीं देकर केवल उसकी अनुपस्थिति में उसके वकील की बहस सुने बिना निर्णय पारित किया है, जो सर्वथा विधि विरूद्ध है। अतः द्वितीय अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय खारिज किया

जावे तथा परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को बहाल रखा जावे।

5– हमनें विद्वान अधिवक्ता अपीलांट्स की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

6– परीक्षण न्यायालय उप जिला कलक्टर, हिण्डोन के द्वारा अपना निर्णय तनकीवार विस्तृत विश्लेषण के आधार पर पारित किया गया है । बंशी के चार पुत्र बृजमोहन, मलखान, चतरू एवं बुद्ध थे। बुद्ध द्वारा गांव छोड़कर जाने पर अपने हिस्से की आराजियात मुताबिक लिखावट बही मलखान, बजमोहन एवं चतरू को बेचान की है तथा बेचान की रकम बृजमोहन एवं मलखान के पास नहीं होने पर उन्होंने चतरू से ब्याज पर 4817/– रूपये उधार लिये हैं। इसके अलावा एक लिखावट बृजमोहन एवं दूसरी लिखावट मलखान द्वारा चतरू को पैसा न चुका पाने की स्थिति में बुद्ध के हिस्से की जमीन, जो ली गयी थी, उसे चतरू को देने बाबत् है। कालान्तर में बृजमोहन एवं मलखान द्वारा उक्त उधार में ली गई राशि नहीं चुकाने पर उक्त आराजियात चतरू के हिस्से में आ गयी एवं उस पर अब वह निरंतर काश्त करता आ रहा है। उप जिला कलक्टर, हिण्डोन ने अपने निर्णय में यह अंकित किया है कि प्रतिवादी द्वारा नकल खसरा गिरदावरी से स्पष्ट है कि वादीगण के साथ प्रतिवादी संख्या–1 व 2 के पिता चतरू का भी विवादित आराजी पर कब्जा काश्त रहा है एवं बही में की गई लिखावट दिनांक 27–02–1981 से स्पष्ट है कि बुद्धू द्वारा अपने हिस्से की आराजियात तीनों भाईयों को बराबर–बराबर 4817/– रूपये में विक्रय की है, जो बही की लिखावट व लिखावटकर्ता के बयानों से साबित है एवं बृजमोहन एवं मलखान द्वाराचतरू से 4817/– रूपये एक वर्ष के इकरारनामा के आधार पर जो बही में दर्ज है, बुद्धू का आराजियात के देने हेतु प्राप्त किए और मुताबिक करार नहीं लोटाने पर बुद्ध से दी गई आराजी चतरू को संभलाने बाबत् लिखापढ़ी की है। उक्त आधार पर तनकी संख्या–1 का निर्णय वादी राजरोसी के वियद्ध किया। रेस्पोडेंट अपने सहमति एवं स्वीकारोक्ति से एस्टोप्ड है। न्यायालय उप जिला कलक्टर, हिण्डोन ने उक्त दस्तावेजों की पुष्टि

लिखावटकर्ता लिखमीराम एवं उसके स्वयं के बयानों से मानी है। इस प्रकार उप जिला कलक्टर, हिण्डोन द्वारा मुकदमा नंबर 381/99 हरिचरण बनाम राजरोसी डिक्री किया है व अपीलांट/वादीगण हरिचरण एवं लखन पिसरान चतरू को 1/4 + 1/4 = 1/2 हिससे का खातेदार काश्तकार घोषित किया है तथा रेस्पोर्डेट/प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा वादी के कब्जे काश्त में दख्ल नहीं देने के लिए पाबंद किया है, जो कि सर्वथा उचित है तथा मुकदमा नंबर 358/99 राजरोसी बनाम हरिचरण खारिज किया है।

7– न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का समुचित तनकीवार विलेषण नहीं किया है तथा उपरोक्त वर्णित दस्तावेजों जिनके आधार पर न्यायालय उप जिला कलक्टर, हिण्डोन ने अपीलांट को खातेदार/ काश्तकार घोषित किया है, के बाबत किसी प्रकार का अभिमत प्रदर्शित नहीं करते हुए जो प्रकरण रिमाण्ड किया है, उसे उचित नहीं ठहराया जा सकता। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर ने अपने निर्णय में यह अंकित किया है विवादित भूमि पैतृक सम्पति है अथवा नहीं तथा वादी/रेस्पोर्डेट के कब्जा काश्त में थी अथवा नहीं, के बाबत् परीक्षण न्यायालय ने साक्ष्य का भली–भांति अवलोकन नहीं किया है और निर्णय पारित किया है। परन्तु हमारे विनम्र मत में यह निर्विवाद है कि सम्पति बंशी के नाम दर्ज थी तथा रेस्पोर्डेट/वादीगण का इस पर कब्जा काश्त निरंतर रूप से था। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर का यह कथन भी स्वीकार योग्य नहीं है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संवत 2037–40 के वाद के रिकार्ड को अधिक महत्व दिया गया है तथा हाल के रिकार्ड पर गौर नहीं किया गया है।

8– हमनें न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर की आर्डरशीट दिनांक 14–6–2002 का अवलोकन किया जिसमें वास्ते बहस दिनांक 11–7–2002 को पेश होने का उल्लेख है। बहस के दौरान अपीलांट के अभिभाषक का यह कथन है कि उक्त आर्डरशीट में कैम्प करोली ओवरराईट कर लिखा गया है तथा कैम्प में सूचना के अभाव में

अनुपस्थित रहने के कारण उनके द्वारा एकपक्षीय आदेश पारित किया है। यह न्यायिक प्रक्रिया के अनुरूप नहीं ठहराया जा सकता है। ऐसी स्थिति में हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक को 22–7–2002 को निरस्त योग्य पाते हुए यह अपील स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

9– उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाती है तथा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22–7–2002 निरस्त किया जाता है तथा न्यायालय उप जिला कलक्टर, हिण्डोन द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 04–5–2002 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार जायसवाल)
सदस्य

(वी.श्रीनिवास)
अध्यक्ष